राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 80( )ग्रावि/नरेगा/आईईसी/ प्लान/ 2013–14 जयपुर, दिनांकः 14 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय :–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) का वर्ष 2015–16 का प्लान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना एक मांग आधारित योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके अधिकारों की जानकारी का इस योजना के सफल क्रियान्वयन से सीधा संबंध है। ग्रामीण आमजन को उनके रोजगार की गारंटी एवं समयबद्ध भुगतान के अधिकार की जानकारी नहीं होने से इसका सीधा प्रभाव योजना के अन्तर्गत रोजगार की मांग पर पड़ता है।

योजनान्तर्गत आईईसी कार्यकलापों का उद्देश्य इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के बारे में जानकारी देना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक मजदूरी रोजगार की मांग करने का अपना अधिकार जानें और अपनी जरूरत के अनुसार कार्यों के लिए आवेदन करके अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। इसी उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2015–16 का राज्य का आईईसी प्लान बनाया गया है।

इस पत्र के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत आईईसी प्लान वर्ष 2015–16 संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। इस प्लान के अनुसार योजना के लक्ष्य समूह (Target Group) एवं स्टेक होल्डर को योजना के मुख्य संदेशों की जानकारी प्रभावी तरीके से दी जावें। आईईसी प्लान के अनुसार आईईसी गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रति माह इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

11/9/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
6. परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस/अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस/ वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

(त्रिभुवनपति)
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – राजस्थान

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) का प्लान

वर्ष 2015–16

(अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक)

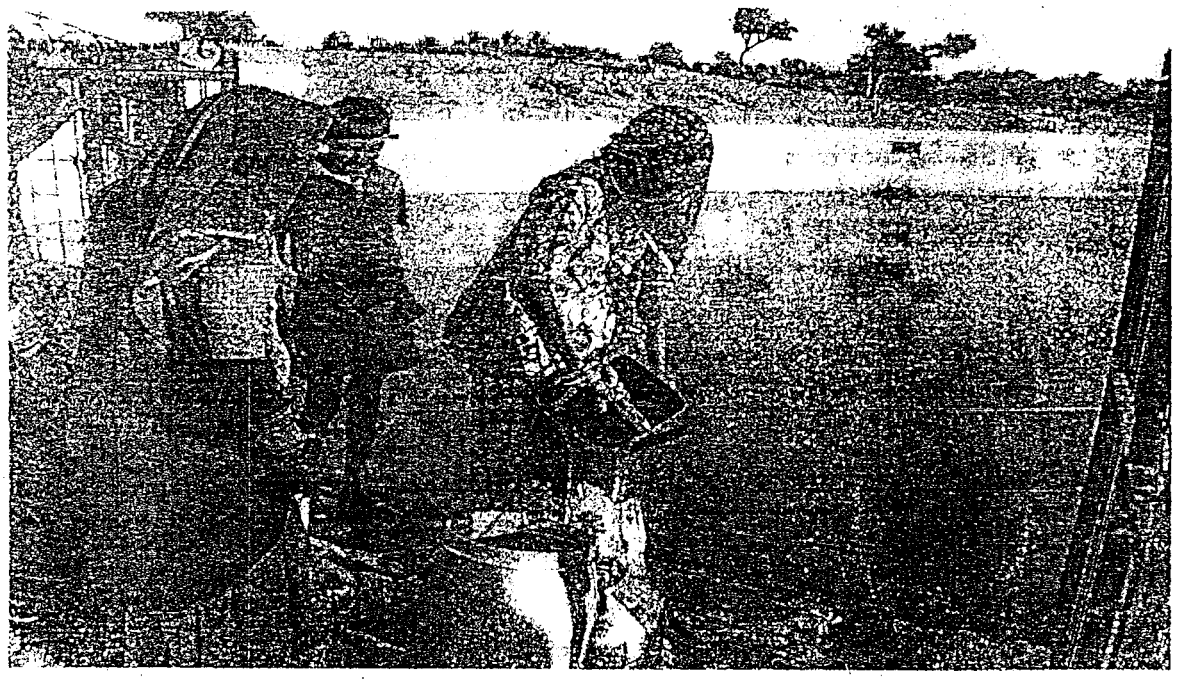

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) प्लान वर्ष 2015–16

(अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य देश के ग्रामीण परिवारों की आजीविका संबंधित सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत उस हर परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने को स्वेच्छा से तैयार होते है। महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के अपने प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास का शक्तिशाली माध्यम बन गया है।

यह योजना एक मांग आधारित योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके अधिकारों की जानकारी का इस योजना के सफल क्रियान्वयन से सीधा सम्बन्ध है। ग्रामीण आमजन को उनके रोजगार की गारंटी एवं समयबद्ध भुगतान के अधिकार की जानकारी नहीं होने से इसका सीधा प्रभाव योजना के अन्तर्गत रोजगार की मांग पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों को योजना के प्रावधानों एवं श्रमिको के अधिकारों की जानकारी दी जाकर जानकारी के अभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिये आई.ई.सी. गतिविधियों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है। आईईसी गतिविधियों को प्रभावी तरिके से लागू करने के लिये राज्य में सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति का होना आवश्यक है।

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार नीति की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबंध में जानकारी नहीं होने के कारण इसका सीधा प्रभाव योजना के क्रियान्वयन पर पड़ता है। आईईसी नीति द्वारा आईईसी कार्यकलापों को व्यवस्थित तरीकें से सरल एवं कारगर बनाया जा सकता है। योजनान्तर्गत निम्न कारणों के कारण सूचना एवं संचार नीति की आवश्यकता है:–

1. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम–2005 के प्रावधानों एवं इसकें अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों की जानकारी ग्रामीण जनता को नहीं होना।
2. रोजगार के अधिकार के उपयोग की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव होना।
3. कितने दिन के रोजगार की गारंटी है, इसकी जानकारी नहीं होना।
4. रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन करने एवं रसीद प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होना।
5. निश्चित अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाने पर बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में जानकारी नहीं होना।
6. प्रतिदिन मजदूरी दर की जानकारी का अभाव।
7. निर्धारित अवधि में भुगतान करने एवं निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर मुआवजा देने के प्रावधानों की जानकारी नहीं होना।
8. प्रतिदिन पूरी मजदूरी प्राप्त करने के लिए निर्धारित टास्क की जानकारी का अभाव।
9. मजदूरी दर गणना करने के तरीके की जानकारी नहीं होना।
10. इस जानकारी की कमी कि महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य किये जा सकते है।
11. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कौन–कौन से कार्य किये जा सकते हैं, के प्रावधानों की जानकारी नहीं होना।
12. कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी की कमी।

13. रोजगार दिवस के संबंध मे जानकारी का अभाव।
14. रोजगार शिविर के संबंध में जानकारी का अभाव।
15. सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में जानकारी का अभाव।

2. योजनान्तर्गत लक्ष्य समूह (Target Group) :–

महात्मा गांधी नरेगा में सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार इस प्रकार किया जावे ताकि योजना के स्टेक होल्डर तक सूचना आवश्यक रूप से पहुंच जाए। योजना के लक्ष्य समूह (Target Group) निम्न हैं :–

1. महात्मा गांधी नरेगा श्रमिक/जॉब कार्ड धारक
2. आम जनता
3. नीति निर्धारक व्यक्ति
4. राज्य, जिला, पंचायत रागिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी/जनप्रतिनिधिगण
5. कार्यकारी ऐजेन्सी एवं योजना में भुगतान करने वाली ऐजेन्सी
6. स्वयं सेवी संस्थाएं एवं स्वयं सहायता समूह
7. ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही अन्य योजनाओं के लाभार्थी।

3. महात्मा गांधी नरेगा का मुख्य संदेश –

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टारगेट ग्रुप एवं स्टेक होल्डर्स को जो महत्वपूर्ण संदेश (Key Messages) दिये जाने हैं, वे निम्नानुसार है :–

1. हर घर का है अधिकार,
   साल में 100 दिन का रोजगार।
2. जॉब कार्ड बनने पर ही,
   बनोगे तुम काम के हकदार।।
3. कार्ड मिला अब माँगो काम,
   काम का लो उचित दाम।

4. 15 दिन में काम मिलता,
काम नहीं तो पाएं भत्ता।

5. सही मजदूरी का प्रावधान,
महिला–पुरूष सब एक समान।

6. बैंक या पोस्ट ऑफिस से हो भुगतान,
जॉब कार्ड– पासबुक का करें मिलान।

7. छाया, दवा, बच्चे का पालना,
कार्यस्थल पर पानी भी रखना।

8. कार्यस्थल पर चोट लगे तो भाई,
मिले मुफ्त दवाई।

9. ग्राम सभा अब करे निगरानी,
नहीं चलेगी कोई मनमानी।

10. ग्राम सभा में खोलो पोल,
गलती हो तो हल्ला बोल!
करें जाँच और जन सुनवाई,
अपने अधिकार को जानो भाई।

11. जो हाथ करेंगे काग ।
मिलेंगे उन्हें पूरे दाम।।

12. गाँव छोड़ नहीं जाना है।
रोजगार यहीं पाना है।।

13. 15 दिवस में मिलेगा काम।
नहीं तो घर बैठे लो दाम ।।

14. बच्चों वाली छोडों दुविधा।
कार्यस्थल पर पालना सुविधा।।

15. नरेगा कानून आया है।
रोजगार गारंटी लाया है।।

16. गांव गांव का हर परिवार।
पाए अब सौ दिन रूजगार।।

17. चारो ओर मचा है शोर।
रोजगार पर अब है जोर।।

18. अब हम पंचायत में जाएं।
अपना जोब कार्ड बनवाये।।

19. अरजी देकर मांगे काम ।
पूरे काम का पूरा दाम।।

20. पोखर गांव गांव खुदवाएं।
नहर नहर पर पाल बनाएं।।

21. गांव मे होंगे ऐसे काम।
सबको सुविधा मिले तमाम।।

22. गहरे कर लें पोखर ताल।
और सुधारें अपना हाल।।

23. बदलेगा हम सकता हाल।
हम खुशहाल, देश खुशहाल।।

24. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषक, भूमि सुधार के लाभार्थियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों एवं इन्दिरा आवास योजना के हिताधिकारियों के स्वामित्व वाली भूमि में सिचाई की सुविधा एवं भूमि सुधार के कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

25. महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम की मांग करने पर 15 दिवस के भीतर 5 कि. मी. की परिधि में काम पाने का अधिकार है।

26. रोजगार के आवेदन की दिनांक सहित रसीद दिया जाना आवश्यक है।

27. ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुमत कार्य करवाये जा सकते हैं।

28. महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।

29. महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से उनके सामाजिक सम्मान को बढावा दिया गया है।

30. महात्मा गांधी नरेगा में पर्यावरण, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के काम करवाने का प्रावधान है।

31. महात्मा गांधी नरेगा में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। ग्राम सभा द्वारा हर 6 महीने मे एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।

32. महात्मा गांधी नरेगा में ग्रामीण इलाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करने पर जोर दिया गया है, जिससे आजीविका में वृद्धि हो।

33. शिकायत करने का ओर 7 दिन में जवाब पाने का अधिकार इस योजना में है।

34. योजना के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की अहम् भूमिका है।

35. महात्मा गांधी नरेगा में ग्राम सभा की अहम भूमिका है। इसमें व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ग्राम सभा द्वारा ही कार्य योजना का अनुमोदन किया जाता है।

36. स्वच्छ भारत अभियान को बढावा देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण।

37. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार शिविरों का आयोजन माह के प्रत्येक गुरूवार को किया जाता है। इस शिविरों मे श्रमिकों के अधिकारों की जानकारी दी जाती है तथा रोजगार के लिए फार्म नं. 6 भरवाकर मौके पर रसिद दी जाती है। रोजगार शिविरों की भूमिका योजनान्तर्गत महत्वपूर्ण है।

38. महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में तैयार की जा रही परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करके ग्रामीण आजीविकाओं का बेहतर स्थायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा को एनआरएलएम के कामकाज के बीच तालमेल के लिए सामाजिक संगठनों की सहायता से पिछड़े ब्लॉकों में क्लस्टर फेसिलिटेशन टीमों (सीएफटी) के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा स्कीम और एनआरएलएम के बीच तालमेल की परियोजना शुरू की गई है।

39. गहन और भागीदारीपूर्ण आयोजना कार्य :– आईपीपीई का मुख्य उद्देश्य चुनिदा ब्लॉकों में योजनान्तर्गत कार्यो की ऐसी सूची तैयार करना है, जो लोगों के वास्तविक सरोकारों और जरूरतों को दर्शाए।

4. **सूचना के स्त्रोत** – भारत सरकार द्वारा एक इम्पेक्ट एसेसमेन्ट स्टेडी करवाई गई है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया के पहुंचने के प्रभावी स्त्रोत निम्नानुसार हैं:–

1. पारस्परिक संचार (Interpersonal Communication Methods) माध्यम
2. मिड मीडिया (Mid Media Methods)
3. मास मीडिया (Mass Media Methods)

उपरोक्त संचार माध्यमों की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए उपलब्ध बजट में से 50 प्रतिशत बजट पारस्परिक संचार (Interpersonal Communication Methods), 30 प्रतिशत बजट मिड मीडिया (Mid Media Methods) एवं 20 प्रतिशत बजट मास मीडिया (Mass Media Methods) के माध्यम से खर्च किया जा सकता है।

5. **सूचनाओं में एकरूपता** :– योजना के प्रचार–प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि सूचनाओं में एकरूपता हो। योजना के लक्ष्य समूह एवं स्टेक होल्डर तक महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार–प्रसार समान रूप से हो।

6. **रोजगार दिवस** :– राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के हर गुरूवार को रोजगार दिवस आयोजित किये जाते है। रोजगार दिवस पर श्रमिकों से

कार्य का आवेदन प्राप्त किया जाता है। आवेदकों को तारीख युक्त रसीद दी जाती है और महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित क्रियाकलापो की जानकारी दी जाती है।

7. **रोजगार शिविर :—** राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह मे एक रोजगार दिवस को रोजगार शिविर के रूप मे विशेष रूप से आयोजित किये जाने की व्यवस्था की गई है। इन शिविरों का निम्न उद्देशय है:—

1. रोजगार इच्छुक परिवारों को काम के लिए आवेदन पत्र (फार्म नं. 6) उपलब्ध कराना एवं भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांकित प्राप्ति रसीद प्रदान करना।
2. जो श्रमिक फार्म नं. 6 भरने में असमर्थ है अथवा श्रमिकों के मौखिक निवेदन पर फार्म नं. 6 भरने की कार्यवाही करना। फार्म नं. 6 भरने में सहयोग प्रदान करना। श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग एकल अथवा समूह के रूप में की जा सकती है।
3. श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग पूरे वर्ष के लिए एक साथ की जा सकती है।
4. श्रमिकों को उनके न्यूनतम हकों के बारे में जानकारी देना।
5. श्रमिकों के भुगतान से संबंधित जानकारी देना एवं समस्याओं का समाधान करना।
6. श्रमिकों की समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान करना।
7. श्रमिकों के जॉब कार्ड पंजीकरण/संशोधन/अपडेशन।
8. योजनान्तर्गत शिकायते प्राप्त कना एवं पूर्व में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण की जानकारी आम जनता एवं शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना।
9. सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित कार्य।
10. योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता।
11. रोजगार अवसर के बारे में जाकगरूकता।
12. कार्यो के गुणवता तथा सम्पादन के विषय में चर्चा करना।
13. मनरेगा योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी भुगतान में विलम्ब, काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता की जानकारी देना।

14. योजना के प्रावधानों, दिशा–निर्देशों, प्रगतिशील एवं पूर्ण कार्यो का विवरण देना।

इन रोजगार शिविरो में नरेगा से जुडे हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत में नियुक्त सभी स्टाफ मौजूद रहेगें।

8. दूरदर्शन केन्द्र जयंपुर के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना की आम जन को कहांनी के रूप में जानकारी देने के लिए कार्यकम आयोजित किये जाने।

9. **महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रचार–प्रसार हेतु त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन** :– राज्य स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विकास के कार्यो, सफलता की कहॉनियों तथा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य के माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा उक्त पत्रिका का नाम **राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा ज्योति** अनुमोदित किया है। यह पत्रिका सभी ग्राम पंचायतो तक भिजवायी जायेगी।

10. **पारस्परिक संचार माध्यम भारत निर्माण वॉलन्टियर्स के साथ** :– भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "लेब टू लेण्ड" कार्यकम के अन्तर्गत भारत निर्माण वॉलन्टियर्स तैयार कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। भारत निर्माण वॉलन्टियर्स को ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित संख्या में परिवारों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी देने, उनमें जागरूकता पैदा करने तथा योजना के अन्तर्गत उन्हें लाभान्वित करवाने में सहयोग देने का लक्ष्य दिया गया है। योजना के प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में इन वॉलन्टियर्स का सहयोग लिया जा सकता है।

11. **सामाजिक मीडिया** :– वर्तमान में सामाजिक नेटवर्क बहुत सशक्त एवं प्रभावी है। कोई भी सूचना सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से तुरन्त पहुंचाई जा सकती है।

महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर (एचआईएमएस) :– राज्य स्तर पर सम्पूर्ण राज्य के लिये Helpdesk cum Information and Monitoring System (महात्मा गांधी नरेगा कॉल सेन्टर) की

व्यवस्था लागू की गई है, जिसका टोल फ्री नम्बर 1800–180–6606 है। कॉल सेन्टर के माध्यम से निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :–

- कॉल सेन्टर द्वारा आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतें दर्ज की जा रही एवं इनका निस्तारण कर निस्तारण की जानकारी एसएमएस द्वारा शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जा रही है।
- कॉल सेन्टर के माध्यम से भी योजनान्तर्गत कार्य की मांग दर्ज की जा रही है।
- योजना संबंधी विभिन्न प्रगति सूचनाओं का संकलन एवं प्रबोधन भी कॉल सेन्टर के माध्यम से किया जा रहा है।
- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम संबंधी जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही है।

12. **उत्कृष्ठ कार्यों का डॉक्यूमेन्टेशन एवं प्रसार :–** योजना में करवाये गये श्रेष्ठ कार्यों का डॉक्यूमेन्टेशन आवश्यक है। इसके लिए वीडियो फिल्म, एलबम, होर्डिंग, बुकलेट आदि तैयार करवाकर उत्कृष्ठ कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है ताकि इसका लाभ अन्य जिलों को मिल सके।

13. **सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के लिए वर्ष 2015–16 के लिए प्लान :–** योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत के तहत अनुमत कार्यकलाप अन्तर्गत आईईसी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। पिछले वर्षो में राज्य में योजनान्तर्गत हुये व्यय के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत लगभग रू. 3500 करोड़ व्यय होने की संभावना है। जिसका 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय पेटे रू. 210 करोड़ बनते है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एवं अनुमत प्रशासनिक व्यय को ध्यान में रखते हुये निर्देशानुसार वर्ष 2015–16 का राज्य का रूपये 5.00 करोड़ (पांच करोड़) का आईईसी प्लान निम्नानुसार है:–

Interpersonal Communication Method (IPC)

S. No.	IEC Tool	Activities /Specifications	Frequency	Duration	No. of Units	Unit Cost	Budget	Apr 15- Jun 15		July 15 - sep.15		Oct 15 -Dec. 15		Jan 16- Mar. 16		Level
								Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	
1	Posters	on key messages	As Needed, In 33 Districts Av. 2 units (1 unit= 1000 nos.) in each month	demi size/ multi colour	66	2000	132000	17	34000	17	34000	16	32000	16	32000	District
			As Needed		16	2000	32000	4	8000	4	8000	4	8000	4	8000	State
2	Leaflets	on key messages	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	District
			-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	State
3	Pamphlets	on key messages	As Needed, In 33 Districts Av. 24 units (1 unit = 1000 nos.) in each Districts	demi size/ multi colour	792	500	396000	198	99000	198	99000	198	99000	198	99000	District
			As Needed		20	500	10000	5	2500	5	2500	5	2500	5	2500	State
4	Media Advocacy Module	for workshop & training	As Needed, L.S. 1 module in 12 months	-	1	15000	15000	0	0	1	15000	0	0	0	0	State
5	Pocket Charts	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	District
6	Cards & Games	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	State
7	Kiosk	for community mobilisation	As needed at Selected Distt. Hq. , Blocks & Village	10x6x6 ft.	33	4000	132000	8	32000	8	32000	8	32000	9	36000	District/ Block

Interpersonal Communication Method (IPC)

S. No.	IEC Tool	Activities /Specifications	Frequency	Duration	No. of Units	Unit Cost	Budget	Apr 15- Jun 15		July 15 - sep.15		Oct 15 -Dec. 15		Jan 16- Mar. 16		Level
								Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	
8	Kathhputli dance, Folk dance, Folk song, Group discussion, Quiz programme in Schools & Colleges and Nukkad Natak, Exhibitions, Melas, Sammelan, Local Mahotsavs	Based on key messages. 1 event consists clubbing of all events or group of selected events as required.	As needed at Selected Distt. Hq., Blocks, GPs and Villages. Av. 1 events per district.	As reqd.	33	4000	132000	8	32000	8	32000	8	32000	9	36000	State
9	Focussed Group discussions		As needed at Selected GPs and Villages	60 min.	165	250	41250	41	10250	41	10250	41	10250	42	10500	District
10	Rozgar Divas		Gram Panchyat level every month on every thursday	1 Day	367080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	District/ Block/ Village
11	Rozgar Shivir		Gram Panchyat level on any thursday of the every month	1 Day	117156	210	24602760	29289	6150690	29289	6150690	29289	6150690	29289	6150690	Selected GP/ Village
	Total			51.04	%		25517760		6374590		6389590		6372590		6380990	TRUE

Mid-Media

S. No.	IEC Tool	Activities / Specifications	Frequency	Duration	No. of Units	Unit Cost	Budget	Apr 15- Jun 15		Jul 15 - Sep. 15		Oct 15 -Dec. 15		Jan 16- Mar. 16		Level
								Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	
1	Hoardings	for key messages	1 for each District HQ	10x10 ft.	33	3000	99000	33	99000	0	0	0	0	0	0	District
2	Duplication of DVDs & Best Practices Documentary	DVDs of Video Programme	for State	-	66	50	3300	16	800	16	800	17	850	17	850	State
			1 for each Block HQ		295	50	14750	75	3750	75	3750	75	3750	70	3500	District
3	Best Practices documentary	Video Documentary	1 for each Distt.	22 Min	33	20000	660000	8	160000	8	160000	8	160000	9	180000	State/ District
4	Wall writing / Painting	Multi Colour (1 x 9763)	1 for each GP for Prev. F.Yr.	-	9763	1000	9763000	9763	9763000	0	0	0	0	0	0	District
5	Printing of IEC, Training Material & quarterly Patrika	Magzines, Modules, Mannuals	As Needed	-	L.S.	L.S.	2400000	L.S.	600000	L.S.	600000	L.S.	600000	L.S.	600000	State
6	Making of documentary film and other video films	Based on best practices, outstanding work done in the scheme and for training purposes	As needed	22 min.	L.S.	L.S.	750000	L.S.	187500	L.S.	187500	L.S.	187500	L.S.	187500	State
7	Helpdesk cum Information and Monitoring System (Call Center)	MGNREGA related	24 hours	12 months	12	115000	1380000	3	345000	3	345000	3	345000	3	345000	State
	Total	-		30.14	%		15070050		11159050		1297050		1297100		1316850	TRUE

Mass Media (T.V., Print & Radio)

S. No.	IEC Tool	Activities /Specifications	Frequency	Duration	No. of Units	Unit Cost	Budget	Apr 15- Jun 15		July 15 - sep.15		Oct 15 -Dec. 15		Jan 16- Mar. 16		Level
								Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	
1	AIR/ Community Radio	Spot Campaign on main Key messages	as needed	10 sec.	50	2000	100000	12	24000	12	24000	13	26000	13	26000	State
2	Ele. Media DD & Other Channels	Spot Campaign	as needed	60 sec.	848	10000	8480000	212	2120000	212	2120000	212	2120000	212	2120000	State
3	Advt. in News Paper, Magzines, Newsletters & Journals	For special occasions	as needed	5000 col. cm.	1500	500	750000	375	187500	375	187500	375	187500	375	187500	State
4	Advt. in News Paper, Magzines, Newsletters & Journals	For special occasions	5 units per District	4000 col. cm.	165	500	82500	41	20500	41	20500	41	20500	42	21000	District
	Total			18.82	%		9412500		2352000		2352000		2354000		2354500	TRUE
		GRAND TOTAL					50000310		19885640		10038640		10023690		10052340	TRUE

Say 5.00 cr.

14. सूचना, शिक्षा एवं संचार प्लान के संबंध में विशेष निर्देश :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन योजना के प्रचार–प्रसार एवं प्रभावी कियान्वयन के लिए किया जावे। इस प्लान की बिन्दु संख्या 2 पर वर्णित लक्ष्य समूह (Target Group) एवं स्टेक होल्डर को बिन्दु संख्या 3 पर वर्णित मुख्य संदेशों की जानकारी दी जानी है। इस उद्देश्य के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का उपयोग किया जावे।
2. जिला स्तर पर उपरोक्त बिन्दु संख्या 18 में वर्णित गतिविधियों पर अन्य प्रशासनिक व्यय को शामिल करते हुए प्रशासनिक मद में व्यय 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।
3. उपरोक्त बिन्दु संख्या 13 में वर्णित प्लान में यूनिट कोस्ट अनुमानित है। वास्तविक यूनिट कोस्ट जन सम्पर्क विभाग द्वारा निर्धारित दर या सीमित या खुली निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर होगी। प्लान में वर्णित अवधि एवं यूनिट संख्या में भी उपलब्ध बजट तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन व्यय प्लान में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं किया जा सकेगा।
4. जिला स्तर पर उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा के अन्दर ही व्यय किया जायेगा। यदि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की आवश्यकता है तो इसके लिये राज्य मुख्यालय से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
5. उपरोक्त प्लान में वर्णित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों पर व्यय राज्य स्तर से पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकेगा।
6. उक्त प्लान में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी।
7. आईईसी प्लान के अनुसार आईईसी गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य मुख्यालय को भिजवाई जावे।